

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(4)गृह-1 / 2023

जयपुर, दिनांक : 16.08.2024

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023-24 की नियमिति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री हरीश भारती, पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा के आदेश दिनांक 20.03.2023 के द्वारा अन्तर्गत नियम 17 सीसीए में विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

उक्त विचाराधीन विभागीय जांच में श्री हरीश भारती को पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा शहर ने आदेश दिनांक 19.02.2024 द्वारा दोषमुक्त किया गया है।

अतः राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2023-24 की दिनांक 24.01.2024 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री हरीश भारती/जगदीश प्रसाद वर्मा (एससी) को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.10.2023 की रिक्ति के प्रति एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री हरीश भारती की वरिष्ठता श्री मनफुल गुर्जर/भूराराम, (एससी) के नीचे एवं श्री बाबूलाल रैगर/बालाराम रैगर (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन है। श्री हरीश भारती अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री भारती को रिक्ति दिनांक 01.10.2023 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

क.प.

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस